न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 17/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/112

1. रामाराम उर्फ राम कुमार पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
2. नत्थूराम पुत्र सरदारा राम जाति मेघवाल निवासी 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :—

1. श्री हरेन्द्र सिंह शेखों , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि —

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्र.सं. 06/2023 दयाराम बनाम रामाराम अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 7 एलसी के मु.नं. 48 प.नं. 149/353 कि.नं. 5 व 6 की कुल 0.165है. पर से अपीलार्थी रामाराम को बेदखल कर कब्जा प्रत्यर्थी सं. 1 को सौंपने के आदेश उपतहसीलदार जैतसर के नाम जारी किये गये हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. अपील अनुमति पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम अपील अनुमति पर निर्णय किया जाना उचित हैं। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर निवेदन किया गया हैं कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट सं. 2 को जरिए आवंटन आदेश दिनांक 23.01.1991 से आवंटनशुदा है, जो कि रिकार्ड में गलती से प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से दर्ज हो गयी हैं, भूमि अपीलांट सं. 2 के कब्जा में है लेकिन अपीलांट सं. 2 को बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया गया हैं जिससे अपीलांट सं. 2 के हित प्रभावित होते हैं। अपीलांट सं. 2 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रत्यर्थी के नाम से दर्ज हैं जिस पर अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 को भूमि के बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी सं. 2 का भूमि में कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के द्वारा दस्तावेज छायाप्रति आवंटन आदेश दिनांक 23.01.1991 प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार चक 7 एलसी मु.नं. 149/353य कि.नं. 5/0–10, 6/0–03 कुल 0–13 नहरी भूमि नत्थूराम पुत्र सरदारा राम को आवंटित हुई हैं। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भी अपने आलौच्य आदेश दिनांक 29.04.2024 में अंकित किया गया हैं कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी के पिता मेघाराम को प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी नत्थूराम(अपीलार्थी) से खारिज होकर स्मालपेच में आवंटन शुदा है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी नत्थूराम को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी सं. 2 नत्थूराम को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

3. मूल अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थीगण अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी दोनों अनुसूचित जाति से सम्बद्ध हैं जबकि धारा 183 बी राज. काश्त. अधि. के प्रावधान अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा कब्जा किये जाने पर लागू होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पोषणीय नहीं था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि को ठेके पर देने का कथन किया गया हैं परन्तु इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। भूमि अपीलार्थी नत्थूराम को आवंटित हुई थी और उसी हैसियत से अपीलार्थीगण भूमि पर काबिज है। राजस्व रिकार्ड में हेरफेर के द्वारा भूमि प्रत्यर्थी के पक्ष में दर्ज की गयी हैं, यदि भूमि प्रत्यर्थी के पिता को आवंटित हुई थी तो प्रत्यर्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन आदेश प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। यदि भूमि प्रत्यर्थी के पिता को आवंटन मान भी लिया जावे तो भी प्रत्यर्थी का भूमि में 1/4 ही बनता है और वे अपने हिस्से की भूमि पर ही कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी होते अन्य वारिसान की भूमि पर नहीं। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों को अनदेखा करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य हैं। प्रत्यर्थी का भूमि में कोई हक व अधिकार निहित नहीं हैं। अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी नत्थूराम को दिनांक 23.01.1991 को आवंटित हुई थी जो आवंटन दिनांक 16.08.1991 को निरस्त कर प्रत्यर्थी के पिता को भूमि आवंटित की गयी। जिसका नामान्तरण दिनांक 29.10.1991 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

आदेश के विरूद्ध आज दिनांक तक अपील नहीं की गयी हैं। अपीलार्थी रामाराम के द्वारा प्रत्यर्थी की भूमि पर कब्जा का प्रयास किया गया तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थी को भूमि का कब्जा दिलवाया हैं। अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के द्वारा छायाप्रति आवंटन आदेश प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार दिनांक 23.01.1991 को भूमि अपीलार्थी नत्थूराम को आवंटित हुई हैं एवं छायाप्रति चालान राशि जमा करवाने की प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा छायाप्रति जमाबंदी प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार भूमि प्रत्यर्थी सं. 1 व अन्य के नाम से स्माल पेच आवंटी के रूप में दर्ज हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा छायाप्रति नामान्तरण चक 7 एलसी सं. 62 स्वीकृत दिनांक 29.10.1991 प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार एसडीएम के आदेश दिनांक 16.08.1991 के आधार पर भूमि नत्थूराम के नाम से हटाकर मेघाराम के नाम से दर्ज की गयी हैं। प्रत्यर्थी द्वारा भूमि मेघाराम को आवंटित होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। प्रत्यर्थी की ओर से दस्तावेज छायाप्रति दैनिक डायरी पटवारी 4 जेएसडी दिनांक 23.05.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार अपीलाधीन भूमि का कब्जा तहसीलदार श्रीविजयनगर के निर्णय की पालना में प्रत्यर्थी दयाराम को संभलाया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी सं. 1 रामाराम के द्वारा भूमि नत्थूराम को आवंटित होने तथा आंवटन राशि जमा करवाने के चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं। परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी नत्थूराम को पक्षकार संयोजित नहीं कर नामान्तरण के आधार पर अपीलार्थी नत्थूराम का आवंटन निरस्त मानते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी नामान्तरण के अतिरिक्त अपीलार्थी की भूमि आवंटन निरस्त होने संबंधित आदेश या अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी नत्थूराम को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जबकि अपीलाधीन भूमि के नत्थूराम को आवंटन किये जाने के दस्तावेज उनके समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके थे। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करनते हुए आदेश पारित करने से पूर्व रिकार्ड के संबंध में गहन जांच करते और रिकार्ड में संबंध में पूर्णतः आश्वस्त हो जाने के उपरान्त आदेश पारित करते।

6. धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2012 के द्वारा

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

स्पष्ट किया गया हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी तथा 183 सी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा किये जाने पर सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा त्वरित बेदखली एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान हैं। जबकि हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्ष ही अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत नहीं हैं। जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं और तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्र.सं. 06/2023 दयाराम बनाम रामाराम अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 को निरस्त किया जाता हैं और आदेश दिया जाता हैं कि अपीलाधीन भूमि का कब्जा पुनः अपीलार्थी को सुपुर्द किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर का मूल अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)